राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2025 को 03:30 बजे अपराह्न् में विकासात्मक विभाग के समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात विभागवार विकासात्मक कार्यों के समीक्षोपरांत निम्नाकित निदेश दिये गये :-

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पूर्णिया जिला में 404, कटिहार में 183, किशनगंज में 107 PDS दुकानों की रिक्ति है। अररिया जिला में रिक्ति शून्य है। प्रतिवेदन के अनुसार कटिहार का रोस्टर अनुमोदित हो चुका है। अतः जिला पदाधिकारी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज नियमानुसार अनुमोदित रोस्टर के अनुसार PDS दुकानों के रिक्ति के विरूद्ध चयन की कार्रवाई विहित प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित करेंगे।
- परख एप के माध्यम से पिछले तीन माह में पूर्णिया में 1810, कटिहार-1544, अररिया-1382 एवं किशनगंज-1027 PDS दुकानों का निरीक्षण हुआ है। किन्तु पाये गये अनियमितता के विरूद्ध PDS अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध की गयी कार्रवाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः सभी अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त अनियमितता के विरूद्ध की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

सहकारिता विभाग

- धान अधिप्राप्ति हेतु सहकारिता विभाग नोडल विभाग है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति संतोषप्रद नहीं है। समाचार पत्रों में किसानों द्वारा कम मूल्य पर बाजार में Distress Sell की सूचना प्रकाशित होती रहती है। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन कराते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ धान अधिप्राप्ति तथा किसानों को समय-समय पर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिवेदन के अनुसार धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 अन्तर्गत अररिया, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिले में क्रमशः 22,14,15 एवं 21 राइस मिल निबंधित हैं। जिसमें अररिया में 17 एवं पूर्णिया में 12 राइस मिलों का सत्यापन किया गया है जबकि कटिहार एवं किशनगंज जिलों में अभी तक एक भी राइस मिलों का सत्यापन नहीं किया गया है। अतः निदेश दिया जाता है कि विभागीय नियम का अनुपालन करते हुए सभी राइस मिलों का यथाशीघ्र सत्यापन किया जाय।

ग्रामीण विकास विभाग

- प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार योजना का जिला वार स्थिति निम्नवत् है:-

जिला का नाम/ ग्राम पंचायतों की संख्या	निबंधन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निर्गत नियोजन कार्ड की संख्या	कार्य के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	कितने लोगों को कार्य दिया गया	कितने लोग कार्य पर उपस्थित हुए	चालू योजनाओं की संख्या जिनमें कार्य दिया गया	पूर्ण योजनाओं की संख्या
पूर्णिया/230	652188	518857	165675	165543	147530	13901	10018
कटिहार/231	39155	39155	181360	181182	154473	16454	6535
अररिया/211	781702	643358	188806	188010	153053	49941	27464
किशनगंज/125	383918	383918	134872	134800	119348	25119	19234

- मनरेगा योजना के तहत मानव दिवस सृजन में विभागीय लक्ष्य को पूर्ण किया जाय। साथ ही मनरेगा योजना के तहत किये जाने वाले कार्य यथा वृक्षारोपण, अमृत सरोवर योजना, खेल मैदान निर्माण, Rain Water Harvesting, सोख्ता निर्माण, मिट्टी भराई कार्य आदि में प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने तथा संवेदक द्वारा कराये जा रहे कार्यों का समय-समय पर जाँच किये जाने का निदेश दिया गया।

- प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का जिला-वार स्थिति निम्नवत् है:-

S.No.	District	Target	Sanction	1st Installment Paid	2nd Installment Paid	3rd Installment Paid	Houses Completed
1	Purnea	17604	17520	16848	10488	4801	4441
2	Katihar	5531	5125	4696	2191	106	46
3	Araria	88982	88938	83150	34322	10205	10257
4	Kishanganj	18307	18227	16892	6559	427	484

- प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्णिया जिला में लक्ष्य 17604 के विरूद्ध 17520 योजना स्वीकृत है। इसके विरूद्ध मात्र 4441 आवास ही पूर्ण हुआ है अर्थात 25 प्रतिशत आवास ही पूर्ण है। कटिहार जिला में लक्ष्य 5531 के विरूद्ध 5125 योजना स्वीकृत है। इसके विरूद्ध मात्र 46 आवास पूर्ण है अर्थात एक प्रतिशत से भी कम आवास ही पूर्ण है। अररिया जिला में लक्ष्य 88982 के विरूद्ध 88938 योजना स्वीकृत है। इसके विरूद्ध मात्र 10257 आवास ही पूर्ण हुआ है अर्थात 11 प्रतिशत आवास ही पूर्ण है। इसी प्रकार किशनगंज जिला में लक्ष्य 18307 के विरूद्ध 18227 योजना स्वीकृत है। इसके विरूद्ध मात्र 484 आवास ही पूर्ण हुआ है अर्थात 2.5 प्रतिशत आवास ही पूर्ण है। उप विकास आयुक्त को निदेश दिया जाता है कि अगले दो माह के अंदर अभियान चला कर 75 प्रतिशत स्वीकृत अवासों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कई प्रकार की शिकायतें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती है। इस योजना के तहत नियोजित कर्मियों के कार्यों में लापरवाही की कई शिकायतें भी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रहती है। उप विकास आयुक्त इस पर विशेष ध्यान देंगे तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) एवं व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

<u>कृषि विभाग</u>

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों का चयन एवं Ekyc की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर करायी जाय।
- समाचार पत्रों में अधिक मूल्यों पर उर्वरकों की बिक्री एवं कालाबाजारी तथा उसके कृत्रिम किल्लत संबंधी सूचना प्रकाशित होती रहती है। बीज एवं उर्वरक दुकानों का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाय। निरीक्षण के क्रम में पायी गयी अनियमितता के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाय। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

- सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एवं स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली तथा उपस्कर, दवा आदि की व्यवस्था की गयी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों के समुचित संचालन हेतु विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी समय-समय पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से सभी प्राथमिक एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों का औचक जाँच कराये ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएँ सुलभ हो सके।
- अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, पैथॉलोजी, अल्ट्रा साउन्ड सेंटर तथा अवैध मेडिकल प्रैक्टिश्नर के संबंध में विभिन्न स्त्रोतों से शिकायतें प्राप्त होती रहती है। सिविल सर्जन को आदेश दिया जाता है कि इसकी समीक्षा कर लें। संगत कानूनी प्रावधानों के आधार पर Medical Establishment का संचालन सुनिश्चित करेंगे।

P.

शिक्षा विभाग

- विद्यालयों में मध्यान भोजन योजना का गुणवत्तापूर्ण संचालन सुनिश्चित किया जाय।
- सभी विद्यालयों में प्रबंध समिति की बैठक एक माह के अंदर कराना सुनिश्चित किया जाय। यह विदित है कि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति काफी कम रहती है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक के स्तर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जाती है। अतः विभागीय मापदण्डों के अनुसार विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। इसी के आधार पर शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का मूल्यांकन किया जाय।
- विद्यालय में उपलब्ध कराये गये Smart Classes equipment एवं खेलकूद के सामग्रियों का रख रखाव एवं उपयोग समुचित ढ़ंग से नहीं हो रहा है। ऐसे सभी सामग्रियों को विद्यालय के किसी कमरे में मात्र रख दिया जाता है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी समय-समय पर प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के माध्यम से विद्यालय का जाँच करायेंगे तथा इस संबंध में दोषी पाये जाने वाले प्रधानाध्यापक के विरूद्ध कार्रवाई करेंगे।

पंचायती राज विभाग

- कटिहार में 231, पूर्णिया में 230, अररिया में 211 एवं किशनगंज में 125 के पंचायतों के विरूद्ध स्वीकृत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाय। सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण करेंगे। पंचायत सरकार भवन में अवस्थित सभी कार्यालय क्रियाशील नहीं रहने की शिकायतें प्राप्त होती रहती है। उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह एक-एक पंचायत सरकार भवन एवं पंचायत अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं की जाँच करते हुए निरीक्षण टिप्पणी इस कार्यालय को समर्पित करेंगे।

नगर विकास एवं आवास विभाग

- आपका शहर आपकी बात, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, 7 निश्चय एवं 7 निश्चय-2 अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना तथा जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत सार्वजनिक तालाब/पोखर/कुआँ का जीर्णोधार सहित कुओं एवं सार्वजनिक चापाकल के निकट सोख्ता का निर्माण का लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने हेतु निदेश दिया गया।
- मुख्यमंत्री समग्र विकास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया।

अभियंत्रण विभाग

- सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जल संसाधन विभाग को निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माणाधीन योजनाओं को पूर्ण करने तथा तीन माह से अधिक विलंबित निर्माणाधीन योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त भू-अर्जन में भूमि उपलब्धता से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से संबंधित जिलावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

पशु पालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराकर पशुपालकों के बीच जागरूकता हेतु पंचायत स्तर पर कैम्प लगाने का निदेश दिया गया ताकि अधिक से अधिक संख्या में पशुओं का टीकाकरण किया जा सके। इस संबंध में क्षेत्रीय पशुपालन पदाधिकारी अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

कल्याण विभाग

- प्रतिवेदन के अनुसार POA Act के तहत दर्ज प्राथमिकी की संख्या पूर्णिया में 201, कटिहार में 86, अररिया में 87, एवं किशनगंज में 343 हैं। संबंधित पदाधिकारियों को इसका नियमित रूप से समीक्षा करने तथा सभी नियमों का अनुपालन करते हुए आरोप पत्र गठित करने का निदेश दिया गया।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति, भुगतान के संबंध में यथाशीघ्र नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज कांड एवं मुआवजा भुगतान के लंबित मामले की समीक्षा कर ली जाय। पूर्णिया में 68, कटिहार में 16 एवं किशनगंज में 08 मुआवजा भुगतान के मामले लंबित है। संबंधित पदाधिकारी यथाशीघ्र नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए लंबित मामले का निस्पादन करेंगे।
- प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिलास्तरीय एवं अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं हो रही है। संबंधित पदाधिकारी उक्त समिति की नियमित बैठक हो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण संबंधित पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी आवासीय विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करेंगे। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास में संसाधनों की समीक्षा कर आवासीय विद्यालय/छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं को बुनियादी एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अन्य सुविधाएँ सुलभ हो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु रिक्तियों के विरूद्ध रोस्टर क्लियरेंस कराकर ससमय विभाग को रिक्ति की सूचना भेजेंगे ताकि उन रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति किया जा सके।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 आंगनबाड़ी केन्द्रों की नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के क्रम में आंगनबाड़ी केन्द्रों में किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक.....6778.....दिनांक...03-12-2025.....

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक, खाद्य/पंचायत राज/कल्याण/मत्स्य/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/संयुक्त निदेशक, शस्य/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया/कटिहार/उप विकास आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सिविल सर्जन/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग, पूर्णिया प्रमंडलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक.....6778.....दिनांक...03-12-2025.....

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

03/12/2025
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

O/C